

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर**  
**"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर**  
**(दूरभाष नं.:—0141—2740837, फैक्स 0141—2742309, ई मेल:—jacct.dta@rajasthan.gov.in)**

क्रमांक : एफ.4(ई)(एल—3482 / 2013) / अलेसे—गा / 503

दिनांक :— 12/07/2021

**कार्यालय आदेश**

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार को उनके आवेदन के अनुसरण में निम्न परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

| क्र.सं. | लिंक नं. | नाम क. लेखाकार<br>(श्री / श्रीमती / सुश्री) | नाम परीक्षा                                      | आयोजक संस्था                    | वर्तमान पदस्थापन कार्यालय   |
|---------|----------|---|--|---------------------------------|---|
| 1       | 2        | 3   | 4  | 5                               | 6   |
| 1       | 12409    | ललित परमार                                  | M.Com. Final<br>(EA FM) 2020—21<br>(Non-College) | गुरु गोविन्द जनजाति<br>विद्यालय | मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी<br>समग्र शिक्षा अभियान,<br>पीपलखेंट, जिला प्रतापगढ़। |

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी :—

- 1 किसी शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 3 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 4 उक्त स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और अस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 5 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 6 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

झैरमक

(भूपेश माथुर)

निदेशक

दिनांक :— 12/07/2021

क्रमांक : एफ.4(ई)(एल—3482 / 2013) / अलेसे—गा / 503

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. संबंधित विभाग / कार्यालय (तालिका के कॉलम 6 के अनुसार)।
2. निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(शिल्पी कौशिक)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक—गा)